रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112020-223291
CG-DL-E-24112020-223291

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2020/अग्रहायण 3, 1942
No. 524] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2020/AGRAHAYANA 3, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

फा.सं. पीएनजीआरबी/टेक/27-पीडीटी4एस/(1)/2020 (पी-1922).---पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानकऔर विशिष्टियों के विकास की प्रक्रिया) विनियम, 2009 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:-

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ**

   (1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियों के विकास करने की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सुरक्षा मानक सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियों के विकास करने की प्रक्रिया) विनियम, 2009 के विनियम 6 के लिए निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

   "6. मानक बनाने की प्रक्रिया

   (1) कोई भी इच्छुक पार्टी मानक तैयार करने या पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैसों से संबंधित गतिविधियों में मौजूदा मानक को बनाने या अद्यतन या संशोधित या रद्द करने के लिए जिसमें डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र से संबंधित पाइपलाइन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं

का निर्माण और संचालन शामिल है जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभारउगाही) विनियम, 2007 के तहत निर्दिष्ट एक आवेदन शुल्क के साथ अनुबंध-II के रूप में बोर्ड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

(2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड स्वत: किसी स्थापित मानक को बनाने, अद्यतन, संशोधन या रद्द करने का निर्णय ले सकता है, ताकि किसी भी विशिष्ट विषय पर नए मानकों को बनाने और उसमें आशोधन तथा मौजूदा मानकों के संशोधन का कार्य बोर्ड द्वारा या तकनीकी समिति द्वारा ही किया जाएगा।

(3) यदि बोर्ड किसी भी मौजूदा मानकों की जांच करने पर इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसेमानकों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए किसी एसडीओ द्वारा विकसित किया गया है और ऐसे एसडीओ को पर्याप्त संख्या में मानकों का विकास करने का श्रेय दिया गया है, तो बोर्ड ऐसे मानकों का संदर्भ दे सकता है या उन्हें अपना सकता है।

(4) विचार-विमर्श के बाद, तकनीकी समिति एक मसौदा मानक या संशोधन तैयार करेगी और उसे बोर्ड को प्रस्तुत करेगी तथा बोर्ड मसौदा मानक या संशोधन पर संशोधन सहित या बिना संशोधन के विचार और अनुमोदन करेगा और उसे सार्वजनिक परामर्श के लिए अपनी वेबसाइट पर कम से कम इक्कीस दिनों के लिए अपलोड करेगा।

(5) बोर्ड सार्वजनिक परामर्श के दौरान प्राप्त टिप्पणियों को तकनीकी उप-समिति को बोर्ड को प्राप्त टिप्पणियों पर उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित कर सकता है।

(6) मसौदा मानक और सार्वजनिक परामर्श के दौरान प्राप्त टिप्पणियों और तकनीकी समिति के विचारों, यदि उस पर लागू हों, को बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक परामर्श के दौरान प्राप्त टिप्पणियों पर चर्चा करने के लिए ओपन हाउस आयोजित करने से पहले बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि के लिए प्रकाशित किया जाएगा।

(7) बोर्ड ओपन हाउस की टिप्पणियों या विचारों को मानने के बाद मानक को अपना सकता है। वैकल्पिक रूप से, बोर्ड इसे अपनाने से पहले प्राप्त टिप्पणियों पर तकनीकी समिति का मत प्राप्त कर सकता है।

(8) यदि अंतिम रूप दिए गए मानक के लिए सहायता की आवश्यकता हो या किसी अन्य मानक पर पाठ को पुन: प्रस्तुत करता है, जिसका बौद्धिक संपदा अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के पास है, तो मानक तैयार करने के लिए ऐसे व्यक्ति की सहमति लेने की जिम्मेदारी तकनीकी समिति या एसडीओ, यदि कोई हो, की होगी।

(9) तकनीकी समिति, सर्वसम्मति से मसौदे को अंतिम रूप देगी और यदि आम सहमति नहीं बनती है, तो मानक को मतदान द्वारा दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से अंतिम रूप दिया जाएगा और मानक को अपनाते समय आम सहमति न बनने के विस्तृत कारण, यदि कोई हों, को बोर्ड को सूचित किया जाएगा।

(10) बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे गए सभी मानकों की कम से कम पांच वर्षों में एक बार समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और उसे संशोधित, पुन: पुष्टि या वापस लिया जाएगा।

(11) प्रकाशित मानकों को संशोधित या आशोधित करने के प्रस्तावों पर संबंधित तकनीकी समिति द्वारा नए मानकों के विकास के प्रस्तावों की ही तरह विचार किया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय बोर्ड के पास होगा।"

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./383/2020]

पाद टिप्पणी : मूल नियमों को दिनांक 14/05/2009 के जीएसआर 323(अ.) द्वारा अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात् दिनांक 01/01/2015 की फा.सं. एल-विविध/VI/I/ 2007 द्वारा संशोधित किया गया था।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2020

F. No. PNGRB/Tech/27-PDT4S/(1)/2020 (P-1922). −In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Procedure for development of Technical Standards and Specifications including Safety Standards) Regulations, 2009, namely: -

1. **Short title and commencement.**

   (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Procedure for development of Technical Standards and Specifications including Safety Standards) Amendment Regulations, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the regulation 6 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Procedure for development of Technical Standards and Specifications including Safety Standards) Regulations, 2009, the following regulation shall be substituted, namely: -

   "**6. Procedure for formulation of standards.**

   (1) Any interested party may submit a proposal to the Board for formulation of a standard or updating or amending or cancelling an existing standard in activities relating to petroleum, petroleum products and natural gas including the construction and operation of pipeline and infrastructure projects related to downstream petroleum and natural gas sector in the form of Annexure – II alongwith an application fee as specified under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fees and Other Charges) Regulations, 2007.

   (2) Notwithstanding anything in sub-regulation (1), the Board on its own may also decide to develop, update, amend or cancel an established standard so that the work of formulation of new standards and modification and revision of existing standards on any specific subject shall be undertaken by the Board itself or through technical committee.

   (3) If the Board on examining any existing standards is satisfied that such standards have been developed by an SDO following the international best practices and such SDO has been credited for development of substantial number of standards, the Board may refer or adopt such standards.

   (4) After deliberations, technical committee shall prepare a draft standard or amendment and shall submit the same to the Board and the Board shall consider and approve the draft standard or amendment with or without modification and put it on its website for public consultation for a minimum period of twenty one days.

   (5) The Board may forward the comments received during public consultation to the technical subcommittee to submit its views on the comments received to the Board.

   (6) The draft standard and the comments received during public consultation and views of the technical committee, if applicable on same shall be published on the website of the Board for a period as decided by Board before conducting Open House for discussions on the comments received during public consultation.

   (7) The Board may adopt the standard after considering the comments or views of the Open House. Alternatively, the Board may seek views of technical committee on the comments received, before its adoption.

   (8) In case the finalized standard draws assistance or reproduces text form any other standard where some other person has intellectual property right, the responsibility for seeking concurrence of such person shall lie with the technical committee or SDO, if any, preparing the draft standard.

(9) Technical committee shall finalize the draft by consensus in the committee and if consensus is not reached, the standard shall be finalized by voting and acceptance by two-third majority of members and the detailed reasons for lack of consensus, if any, shall be conveyed to the Board for its consideration while adopting the standard.

(10) All standards so developed shall be reviewed periodically at least once in five years, and revised, reaffirmed or withdrawn, as considered necessary by the Board.

(11) Proposals for revising or amending published standards shall be considered by the technical committee concerned in a manner similar to proposals for development of new standards with the final decision resting with the Board.".

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./383/2020]

Foot Note : Principal regulations were notified vide GSR 323(E), dated 14/05/2009 and subsequently amended vide F. No. L-MISC/VI/I/2007, dated 01/01/2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.11.24 20:43:53 +05'30'